Smt. Shanta Singh
Sr. Asst. Prof.
Dept. of L.S.W.
SNSRKS College, Saharsa

श्रम कल्याण

आज के औद्योगिक युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रम-कल्याण का मतलब नहीं समझता होगा। श्रम एवं कल्याण दो शब्दों को मिलाकर बना शब्द अपने-आप में बहुत ही अर्थ रखता है। श्रम-कल्याण का शाब्दिक अर्थ है श्रमिकों का कल्याण। अर्थात् श्रम कल्याण के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी कार्य किसी न किसी दृष्टिकोण से श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धित होते हैं।

श्रम-कल्याण अत्यधिक, लचीला और व्यापक शब्द है। इसका अर्थ भी एक देश से दूसरे देश में सामाजिक प्रथाओं, औद्योगीकरण के स्तर और श्रमिकों के शैक्षणिक विकास के अनुसार भिन्न होता है। व्यापक दृष्टिकोण से श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार करना उनके आर्थिक-सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार, सेवा-योजकों और श्रमिक संघों द्वारा जो कार्य किये जाते हैं, उन्हें श्रम-कल्याण कार्यों की संज्ञा दी जाती है। जा सकती है। इस प्रकार, श्रम-कल्याण का अभिप्राय उन कार्यों से है, जो कारखाना कानून और दूसरे श्रम-अधिनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रमापों से अतिरिक्त किये जाते हैं, तथा जिनका उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामान्य भलाई और कार्य क्षमता में सुधार करना होता है।

वास्तव में श्रम-कल्याण क्या है? इसके लिए

Scanned with CamScanner

बहुत से चिन्तकों, दार्शनिकों, श्रमिक, नेताओं इत्यादि, ने श्रम-कल्याण को परिभाषित करने की कोशिश की है।

<u>सामाजिक विज्ञान विश्वकोष के अनुसार</u>, "श्रम-कल्याण से तात्पर्य कानून, औद्योगिक प्रथा और बाजार की दशाओं के अतिरिक्त मालिकों द्वारा वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों के काम करने, कभी-कभी जीवन निर्वाह और सांस्कृतिक दशाओं को उपलब्ध करने के ऐच्छिक प्रयत्न से है।"

<u>सर एडवर्ड पेन्टन के अनुसार</u>, "श्रम-कल्याण का अर्थ श्रमिकों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली दशाओं से है।"

<u>श्रम जाँच समिति 1945 की रिपोर्ट के अनुसार</u> "श्रमिकों की शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक व आर्थिक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य जो वैधानिक कानून तथा सेवायोजकों एवं श्रमिकों के मध्य हुए अनुबन्धित लाभों के अतिरिक्त हो चाहे वह नियोजकों, राज्य संस्था अथवा किसी भी संस्था द्वारा किया गया हो, श्रम कल्याण कहलाता है।

<u>अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार</u> — "श्रम-कल्याण से आशय ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को समझना चाहिए जो कारखानों के अन्दर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गयी हो, ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वास्थ्य और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना कार्य कर सके और अपने स्वास्थ्य तथा

Scanned with CamScanner

नैतिक स्तर को ऊँचा उठानेवाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से सरकार, सेवायोजकों एवं श्रम-संघों द्वारा श्रमिकों के जीवन-स्तरों में सुधार तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक हितों को बढ़ाने के लिए जो आज व कार्य किये जायें उन्हें "कल्याण कार्य" कह सकते हैं। अतः कल्याण-कार्य वह कार्य है जो कारखाना कानून एवं दूसरे श्रम कानूनों द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रमापों एवं ज्यादा श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा, सामान्य भलाई एवं औद्योगिक कार्य क्षमता में सुधार के लिए किया जाता है।

विभिन्न कार्य, स्थान तथा परिस्थितियों में श्रम-कल्याण की अवधारणा अलग-अलग रही है। यानि हम कह सकते हैं कि श्रम-कल्याण की अवधारणा परिवर्तनशील रही है। श्रम-कल्याण के विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं:-

(1) <u>पितृत्व तथा लोकोपकार</u>:- इतिहास बताता है कि प्रारंभ में नियोजक श्रम-कल्याण पितृत्व तथा लोकोपकार की भावना से प्रेरित होकर करते थे। औद्योगीकरण से उत्पन्न अपने कर्मचारियों के कार्य और जीवन की भयानक दशाओं से प्रभावित होकर, कुछ नियोजकों ने पितृत्व तथा उपकार की भावना से उनके लिए सुविधाएं प्रदान की। उस समय की प्रचलित धारणा के अनुसार, कल्याण कार्य को एक उदार नियोजक का द्योतक

Scanned with CamScanner

समझा जाता था। इससे समाज के में नियोजक की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। भारत तथा कई अन्य देशों में नियोजकों ने धार्मिक विचार से उत्प्रेरित होकर अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कदम उठाए।

(2) **श्रम संघवाद तथा समाजवाद के प्रभाव पर रोक के लिए:-** श्रम-संघवाद तथा समाजवाद- संबंधी विचार धाराओं के उद्गम से पूँजीवादी देशों में कई नियोजक भयभीत हो उठे। वे श्रम-संघों तथा समाजवादियों की माँगों तथा क्रियाकलापों का अपने परमाधिकारों में हस्तक्षेप समझते थे। कई नियोजकों ने सोचा कि अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्य के माध्यम से वे उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा श्रम संघवाद और समाजवाद के प्रसार को रोक सकते हैं। श्रम संघवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के विरोध में अमेरिकी नियोजकों द्वारा किये गए श्रम-कल्याण कार्य उल्लेखनीय हैं। कल्याण कार्य की व्यवस्था कर उन्होंने अपने कर्मचारियों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वे उनके हित चिंतक हैं तथा उन्हें श्रम संघ के सदस्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी कई नियोजकों की धारणा है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्य की व्यवस्था कर श्रम-संघों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं।

(3) **औद्योगिक शान्ति की स्थापना:-** कई नियोजकों ने हड़तालों को रोकथाम के उद्देश्य से भी श्रम कल्याण कार्य किये हैं। उनकी धारणा है कि श्रम-कल्याण हड़ताल के

विरुद्ध एक महत्वपूर्ण शस्त्र है। ऑब्रि जेम्स टेड के शब्दों में, "कुछ पहले यह सामान्य विचार था कि कल्याण - सामग्री हड़ताल बीमा है।" कल्याणकारी सेवाओं का प्रबंध कर, कई नियोजकों ने श्रमिकों को हड़ताल से विमुख करने की चेष्टा की, क्यों कि हड़ताल पर जाने से वे इन सेवाओं तथा सुविधाओं से वंचित कर दिए जायेंगे।

बाद में नियोजकों ने हड़ताल की रोकथाम के लिए कल्याण कार्य के संकुचित उद्देश्य को त्याग, उसे सामान्य औद्योगिक शान्ति की स्थापना के व्यापक दृष्टिकोण से देखना प्रारम्भ किया। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए श्रम कल्याण के योगदान के महत्त्व को रीगे समिति (श्रमिक जाँच समिति) ने स्वीकार किया। कई नियोजकों की धारणा है कि कल्याण कार्य से परिवेदनाओं की संभावना कम होती है, जिससे औद्योगिक मनोबल बढ़ता है तथा भावनात्मक वातावरण को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल्याणकारी सेवाओं की उपलब्धि से श्रमिकों को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो उठे जिससे औद्योगिक संबंध बिगड़ सकता है। साथ ही, अगर श्रमिक यह सोचने लगे कि कल्याण कार्य के माध्यम से उन्हें अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, तो इससे भी औद्योगिक शान्ति की स्थापना में बाधा पहुँचेगी।

(4) <u>स्थायी श्रमशक्ति का निर्माण</u>:- बहुत से नियोजकों ने अपने श्रमिकों तथा नियोजन के प्रत्याशियों के लिए कार्यस्थल को आकर्षक बनाने के लिए भी श्रम-कल्याण

Scanned with CamScanner

कार्य किए हैं। उनके विचार से कल्याणकारी सेवाओं तथा सुविधाओं से श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रति आकर्षित होंगे, जिससे श्रमिक - आवर्त में कमी होगी। जहाँ श्रम की प्रकृति कठिनाई से होती है वहाँ श्रमिकों को विशेष सुविधाएं, सेवाएं तथा सुख-साधन प्रदान कर उन्हें नियोजन के लिए प्रलोभित भी किया जाता है। श्रमिक जाँच समिति के विचार से भी विभिन्न कल्याण कार्यों से श्रमिक उद्योग के अपने को सहभागी समझेंगे तथा उनकी संतुष्टि एवं कुशलता में वृद्धि होगी। भारत में कोयला खानों के श्रमिकों के लिए विशेष सेवाओं तथा सुविधाओं के माध्यम से वहाँ स्थायी श्रम शक्ति के निर्माण में प्रचुर सहायता मिली है तथा अनुपस्थिति एवं श्रमिक-आवर्त में कमी हुई है।

(5) <u>श्रम कुशलता में वृद्धि</u> :- आज आर्थिक विकास के लिए श्रमिक की कुशलता तथा उत्पादकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें श्रम कल्याण का भी विशिष्ट स्थान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जलपानगृहों, आहारगृहों तथा चिकित्सा - सेवाओं की उपलब्धि से श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनकी कुशलताओं में वृद्धि होगी। औद्योगिक - सुविधाओं से उनकी मानसिक कुशलता बढ़ेगी। श्रम कल्याण कार्यों के फल स्वरूप उनका जीवन-स्तर ऊँचा होगा जिसका श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा उत्पादकता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कल्याण कार्य से श्रमिकों के कार्य करने की इच्छा तथा शक्ति दोनों में वृद्धि होती है।

Scanned with CamScanner

(6) नैतिकता या आचार-सम्बन्धी दृष्टिकोण :- श्रम कल्याण के क्षेत्र में उपर्युक्त अवधारणा मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित है कि श्रम उत्पादन का एक साधन मात्र है। कल्याणकारी कार्यों के फलस्वरूप उत्पादन का यह साधन सुचारू रूप से कार्यशील होगा। पूँजीवादी कार्य व्यवस्था में नियोजक श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से तथा उन पर व्यय करना नहीं चाहेंगे जब तक उसके बदले उन्हें स्वयं लाभ नहीं हो। ऐसा तर्क दिया जाता है कि अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने पर नियोजक श्रम-कल्याण कार्य बन्द कर देंगे, क्योंकि उनके वांछित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सके। अब प्रश्न यह उठता है कि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर, क्या श्रम-कल्याण कार्य बंद कर देना उचित होगा? इस प्रश्न का उत्तर श्रम-कल्याण के पीछे नैतिकता या आचार-संबंधी दृष्टिकोण में निहित है। आज कर्मचारी को उत्पादन के साधन के रूप में नहीं देखा जाय। मूल रूप से वे मनुष्य हैं। अन्य नागरिकों की तरह उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास एवं उन्नत जीवन का अधिकार है। किसी विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होने पर भी, मानवीय मूल्य के आधार पर श्रम-कल्याण आवश्यक हो जाता है।